संख्या-42/2016/535/41-16-50 यो0/12

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2016**

विषय- **केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में गढवाघाट के पर्यटन विकास की योजना की धनराशि रू0 192.66 लाख भारत सरकार को वापस किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-2369/6-1-1(403)/यो0/16, दिनांक 16-03-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में गढवाघाट के पर्यटन विकास की योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक 5 पी0एन0सी0 (34)/2010, दिनांक 01.02.2016 द्वारा गढवा घाट हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 321.06 लाख में से व्यय की गई धनराशि में से रू0 65.00 लाख का यू0सी0 भारत सरकार भेजने एवं अवशेश धनराशि रू0 256.00 लाख (सिंचाई विभाग के पास अवशेष पडी धनराशि रू0 63.40 लाख तथा उ0प्र0 सरकार के राजकोष में पडी धनराशि रू0 192.66 लाख) भारत सरकार को वापस करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3- अत: प्रश्नगत योजनान्तर्गत राजकोष में पडी धनराशि लेखाशीर्षक "1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान, 900-घटाए-वापसियां, 01-वापसियां" से आहरित कर भारत सरकार को वापस किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-42/2015/535/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अधिशीषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- व्यय (वित्त-नियन्त्रण) अनुभाग-7
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in